न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

महेश प्रसाद वर्मा बनाम् सुरेश मंडल वगै०

विविध वाद संख्या –08 / 2024

***U/S* – 144 Cr. P. C.**

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

महेश प्रसाद वर्मा, पिता– स्व0 मुंशी महतो
ग्राम– बड़की सरिया, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. सुरेश मंडल, पिता – स्व0 जागो मंडल,
2. झमन मंडल, पिता – स्व0 जागो मंडल,
3. बालो मंडल, पिता – स्व0 जागो मंडल

साकिन– बागोडीह चौक(ठाकुरबाड़ी टोला), थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बड़की सरिया	200	03	4.44 एकड़	उ0– भातु कोयरी, द0– खास मालिक, पु0– प्लॉट नं०– 05 एवं 06 एवं टोडी कोयरी, प0– अकली कोयरीन वगै0

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 03.01.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 2 पृष्ठ, प्रदर्श **A-1**
2. ऑनलाइन पंजी II की छायाप्रति – कुल 1 पृष्ठ, प्रदर्श **A-2**
3. ऑफलाइन रसीद की छायाप्रति – कुल 1 पृष्ठ, प्रदर्श **A-3**

पुनः प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 29.02.2024 को लिखित कारण–पृच्छा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित कारण – पृच्छा – कुल 3 पृष्ठ, प्रदर्श **A-4**

09.03.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

2. ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 2 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
3. सादा हुकुमनामा की छायाप्रति – कुल 1 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**

प्रथम पक्ष के लिखित कारण – पृच्छा में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 2 – यह कि वाद ग्रस्त भूमि बजरिये बंदोबस्ती हुकुमनामा से बंधन कोयरी वल्द टेको कोयरी, साकिन – बड़की सरिया, पुराना थाना – बगोदर, वर्त्तमान थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह, खाता नं0 – 200, प्लॉट नं0 – 03, रकवा – 4.44 ए0, चौहदी उत्तर – भतु कोयरी, दक्षिण – अहरी मण्ड नीज वो खाश मालिक, पूरब – प्लॉट नं0 – 5 वो छोटकी कोयरी वगैरह, पश्चिम – अकली कोयरीन वगैरह को फागुन सुदि 4 सम्वत् 1990 ई0 को (18.03.1933) को प्राप्त है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 3 – यह कि बंधन कोयरी बंदोबस्ती से भूमि हासिल उपरान्त खाश दखलकार हुये वो एकमात्र बहैसियत स्वामित्व प्राप्त कर जमींदार को मालगुजारी अदा करते रहे बाद हूँ जमींदारी समाप्ती के बाद बिहार सरकार वो झारखण्ड सरकार को राजस्व कर अदा करने लगे।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 5 – यह कि अंचल सरिया के पंजी – 2 के भाग संख्या – 3 पृष्ठ संख्या – 136, रकवा – 4.44 ए0 भूमि का बंधन कोयरी के नाम से कायम है तथा ऑनलाइन पंजी दर्ज है।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 01.02.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. सादा हुकुमनामा की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. फरद रिपोर्ट की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**

द्वित्तीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 01 – यह कि विवादित जमीन मौजा – बड़की सरिया, थाना नं0 – 44, खाता नं0 – 200, प्लॉट नं0 – 03, रकबा – 4 एकड़ 44 डी0 चौहदी उ0– भातु कोयरी, द0 – खास मालिक, पु0 – प्लॉट नं0 – 05, 06 व टोडी कोयरी वगैरह, पं0 – अकली कोयरीन वगैरह पर प्रथम के द्वारा मुकदमा दायर किया गया है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 03 – यह कि उक्त जमीन द्वित्तीय पक्ष के दादा चीतो महतो, पिता – स्व0 भीखो महतो को जमींदार बाबु जगरनाथ राय वो बाबु माधो राय वगैरह के द्वारा प्राप्त है जो मौजा – बड़की सरिया, थाना – बगोदर हाल थाना – सरिया के अंतर्गत खाता नं0 – 200, प्लॉट नं0 – 03, रकबा – 5 बीघा 4 कट्ठा अर्थात 4 एकड़ 16 डी0 हासिल है, जिसकी चौहदी उ0– नीज, द0 – माहदेव पाण्डेय वगैरह, पु0 – रास्ता, पं0 – भातु महतो वगैरह।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 04 – यह कि उक्त जमीन द्वित्तीय पक्ष के दादा को हासिल होने के बाद उक्त जमीन पर जोत कोड कर अपने दखल कब्जे में लेकर फसल का उपजा किया करते थें तथा जमींदारी प्रथा उन्मुलन के बाद अंचल कार्यालय बगोदर हाल अंचल कार्यालय सरिया से मांग पंजी – 2, भाग संख्या – 8, पेज नं0 – 112 से मालगुजारी रसीद निर्गत कराते चले आ रहें हैं तथा द्वित्तीय पक्ष के पिता के द्वारा उक्त जमीन पर फसल कि पटवन करने हेतु कुआं का निर्माण आज से करीब 30 साल पूर्व कराया गया है तथा विभिन्न प्रकार का पेड भी लगाया गया है।

09.03.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

3

थाना सरिया का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, सरिया का पत्रांक **57/2024**, दिनांक – 09.01.2024, अनुलग्नक सहित कुल – 10 पृष्ठ;
(प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, प्रथम पक्ष का दस्तावेज – 01 सादा हुकुमनामा की प्रति, 01 जमीन्दारी रसीद, 01 सरकारी लगान रसीद। द्वित्तीय पक्ष का दस्तावेज – 01 सादा हुकुमनामा की प्रति, 02 जमीन्दारी रसीद, 02 सरकारी लगान रसीद, 01 फर्द अमीन रिपोर्ट)– **प्रदर्श C-1**

अंचल सरिया का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, सरिया का पत्रांक – 38 दिनांक – 16.01.2024 (कुल – 02 पृष्ठ) – **प्रदर्श D-1**

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहद्दी
बड़की सरिया	200	03	4.44 एकड़	उ०– भातु कोयरी, द०– खास मालिक, पु०– प्लॉट नं०– 05 एवं 06 एवं टोडी कोयरी, प०– अकली कोयरीन वगै०

2. प्रथम पक्ष का कहना है कि यह जमीन उनके पूर्वज बंधन कोयरी को सादा हुकुमनामा से प्राप्त हुआ है तथा इसके समर्थन में बंधन कोयरी के नाम से सादा हुकुमनामा, एक जमीन्दारी रसीद, एक सरकारी लगान रसीद तथा ऑनलाईन जमाबंदी की कॉपी संलग्न की किया गया है।
3. द्वित्तीय पक्ष का कहना है कि मौजा – बड़की सरिया अंतर्गत खाता नं० 200, प्लॉट नं० – 03 रकबा – 5 बीघा 4 कट्ठा अर्थात 4 एकड़ 16 डी० जमीन बन्दोबस्ती के माध्यम से उनके दादा चीतो महतो को प्राप्त हुआ है, इसके समर्थन में चीतो महतो के नाम से सादा हुकुमनामा; फर्द अमीन रिपोर्ट; दो जमीन्दारी रसीद तथा दो सरकारी लगान रसीद संलग्न किया गया है।
4. अंचल के प्रतिवेदन में कहा गया है कि
   (1) यह कि मौजा – बड़की सरिया, थाना नं० – 44 के अंतर्गत खाता संख्या – 200 प्लॉट नं० – 03, सर्वे रकबा – 293.75 एकड़ गैरमजरूआ पंजी के अनुसार गैरमजरूआ खास खाता की भूमि है, किस्म भूमि खतियान में उपलब्ध नहीं होने के कारण अप्राप्त है।
   (2) प्रथम पक्ष के द्वारा साक्ष्य के रूप में सादा हुकुमनामा, लगान रसीद, ऑनलाईन पंजी – II की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। जिसकी जमाबंदी पंजी II के भाग संख्या–03, पृष्ठ संख्या – 136 पर रैयत का नाम बंधन कोयरी, पिता – टिको कोयरी, खाता नं० – 200/682, रकबा – 4.44 ए० दर्ज है तथा लगान रसीद वर्ष 2012 – 13 तक निर्गत है।
   (3) द्वित्तीय पक्ष के द्वारा साक्ष्य के रूप में सादा हुकुमनामा, अमीन फर्द रिर्पोट एवं लगान रसीद की छायाप्रति प्ररस्तुत किया गया है। जिसकी जमाबंदी पंजी–II के भाग संख्या – 08, पृष्ठ संख्या – 112 पर रैयत का नाम चीतो महतो, पिता – भीखो महतो, खाता नं० – 200/1557, रकबा – 5.4 कट्ठा दर्ज है एवं बिकी पश्चात् रकबा – 2.32 एकड़ शेष है तथा लगान रसीद वर्ष 2008–09 तक निर्गत है।

09.03.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

(5)

	5. स्पष्ट है कि विवादित जमीन गैरमजरूआ खास जमीन है; दोनों पक्ष सादा हुकुमनामा और हाल में करवाई गई एक दो सरकारी लगान रसीद के आधार पर उक्त विवादित जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। दोनों में से किसी भी पक्ष के द्वारा जमीन्दारी रिर्टन की प्रति, फील्ड बुझारत से संबंधित दस्तावेज, पहले का सरकारी लगान रसीद नहीं दिखाया जा रहा है। अतः दोनों पक्ष की जमाबंदी संदेहस्पद प्रतीत हो रहा है। **अतः अंचल अधिकारी, सरिया को यह आदेश दिया जाता है कि अंचल में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों (जमीन्दारी रिटर्न, फील्ड बुझारत, पुराना रजिस्टर II आदि) को जाँच करके देखें कि दोनों पक्ष को उचित प्रकिया का अनुपालन करते हुए बन्दोबस्ती प्राप्त हुई है अथवा नहीं।** **यदि उचित प्रकिया का अनुपालन किये बिना केवल सादा हुकुमनामा के आधार पर जमाबंदी कायम कराकर जमीन पर दावा किया जा रहा है तो –– दोनों जमाबंदी को अवैध जमाबंदी में चिन्हित करते हुए BLR Act 1950 की धारा 4H के तहत् कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लें।** उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें। कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें। लेखापित एवं संशोधित। 09.03.2024 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह) 09.03.2024 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.19 15:36:12 +05:30
Location: 192.168.1.9